

भारतीय उच्च शिक्षा: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की भूमिका

मीनू वर्मा

सहायक प्रोफेसर, नैशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिरसा।

सारांश

21 वीं सदी ज्ञान की सदी है। जिस देश की ज्ञान क्षमता, कौशल, प्रयोगिकता अधिक होगी, वह देश उतना ही श्रेष्ठ होगा। ज्ञान के आधार पर ही एक देश दूसरे से शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनता है ताकि वह विपरीत परिस्थितियों में अन्य देशों की तरफ मुख फैला कर ना देखे।

इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा ज्ञान को महत्व देते हुए, विश्व स्तर पर भारतीय ज्ञान को श्रेष्ठ हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय ज्ञान आयोग का गठन कर ज्ञान को ज्ञान पंचमुज के माध्यम से:- ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान की रचना, ज्ञान का उपयोग तथा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था का ढांचा तैयार किया तथा उसका हासिल करने का पारूप देकर सुनहरे भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश भी की।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर से लेकर शोध/अनुसंधान तक हर स्तर नवाचार के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बतलाया है कि भारतीय उच्च शिक्षा पर गहरा संकट है। क्योंकि हमारे देश के युवा में बहुत कम ध्यान और लगाव है।

इसलिए इस समय में उच्च शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हमारे देश में गुणवत्ता पूर्ण शोध कार्य हो, हमारे उच्चतर शिक्षण—संस्थान भी विश्व प्रसिद्ध हो तथा इसके साथ ही हमारे भी विद्वानों को ज्यादा से ज्यादा नोबेल पुरस्कार या अन्तराष्ट्रीय पहचान के साथ सम्मानित किया जाए। इस शोध पत्र का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा व राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के योगदान पर प्रकाश डालना है।

मूल शब्द— उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, भारतीय शिक्षा प्रणाली,

प्रस्तावना

21 वीं शताब्दी को दुनिया भर में ज्ञान शताब्दी के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञानोन्मुखी समाज के रूप में बदलना है। इस आयोग की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी कि "अब समय आ गया है कि संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए।"

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) की स्थापना 13 जून, 2005 को की गई थी, जिससे कि हमारे ज्ञान संबंधी संस्थानों और आधारिक तंत्र के सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा सके जा भारत को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ बना सकेंगी।

इस आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट 4 बार प्रस्तुत की 2006, 2007, 2008 और 2009 में। इस आयोग का सम्पूर्ण प्रतिवेदन 2009 राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन (Report to the Nation) के नाम से प्रकाशित हुआ। व्यक्ति के विकास तथा देश के समाजिक परिवृत्ति को बदलने के लिए शिक्षा एक प्रमुख समर्थनकारी तत्व है इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य शिक्षा क्षेत्र को चुस्त बनाने के प्रति केन्द्रित रहा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की चिंता भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक पक्षों को लेकर है जिनमें ये शामिल हैं—स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा।

उच्च शिक्षा से अभिप्राय— प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्रायः ऐच्छिक होता है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। उच्चतर शिक्षा में एनकेसी की सिफारिशें—विस्तार, उन्नति, और समावेशन इन तीन पक्षों की ओर केन्द्रित रही हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता— किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में मानव पूँजी की अहम भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। हम अपने मौजुदा विश्वविद्यालयों में सुधार किए बिना अपनी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएँ इतनी आम हैं कि उन पर चिंता होना और उनमें सुधार करना स्वभाविक है। जैसे—पाठ्यक्रम में कई दर्शकों से बदलाव न होना, विद्यार्थियों के ज्ञान मूल्यांकन की क्षमता का कमज़ोर होना, विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय शिक्षण के दायरे तक सीमित रखना, कक्षाओं व परीक्षाओं के लिए कोई निश्चित कैलेण्डर न होना, बुनियादी सुविधाओं का आभाव होना, अनुसंधान का आभाव होना आदि। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार, उच्चतर शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदलने के लिए उच्च शिक्षण प्रणाली में सुधार करना अत्यन्त आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें— उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें इन मुद्दों को संबोधित करती हैं।

1 GER में वृद्धि— राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 15% और उससे अधिक करने की सिफारिश की है।

2 वित्तपोषण के स्त्रोतों का विविधीकरण— सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के अलावा इसमें निजी भागीदारी, परोपकार योगदान और अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त पोषण के स्त्रोतों में विविधता लानी होगी।

3 विश्वविद्यालयों का निर्माण और विस्तार— भारतीय शिक्षा प्रणाली में विस्तार लाने के लिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक 1500 विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया है तथा आंशिक रूप से मौजुदा संस्थाओं के पुर्नगठन की सिफारिश की है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश करता है। ये छात्रों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करेंगे। इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्ति और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान होगा।

4 उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण का निर्माण— उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए मौजुदा बाधाओं को कम करने के लिए एक स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है जो सरकार के संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।

5 मौजुदा विश्वविद्यालयों में सुधार— राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने मौजुदा विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए लगातार पाठ्यक्रम संशोधन, कोर्स क्रेडिट प्रणाली की शुरूआत, आंतरिक मूल्यांकन पर निर्भरता बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा संस्थानों के सुधार को शामिल करने का आद्यान किया है।

6 स्नातक महाविद्यालयों की पुर्नगठन प्रणाली— राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्नातक महाविद्यालयों से संबंध प्रणाली के पुर्नगठन की सिफारिश की।

7 सामुदायिक कॉलेजों के लिए मॉडल— राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सामुदायिक कॉलेजों के लिए मॉडल बनाने का भी सुझाव दिया है जो क्रेडिट और नॉन क्रेडिट कोर्स प्रदान करते हैं जिससे 2 साल की एसोसिएट डिग्री प्राप्त होती है। इनमें सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के साथ—2 रोजगारन्मुखी कार्यक्रम होंगे, जिससे छात्रों को बाद में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लचीलापन मिलेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि सभी योग्य छात्रों को अपनी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद उच्च शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए। जबकि सरकार ने फीस को कम करके विश्वविद्यालय शिक्षा को भारी सब्सिडी दी है।

8 विज्ञान और गणित में छात्रों को आकर्षित करना— देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को फिर से जीवंत करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विज्ञान और गणित में अधिक छात्रों को आकर्षित करने की सिफारिश की है। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने बड़े पैमाने पर विज्ञान **आउटरीय** कार्यक्रम शुरू करने, शिक्षण पेशे को पुर्णजीवित करने और सभी स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है।

9 पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार— देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पीएचडी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष कदम उठाने की सिफारिश की है। इसमें सभी स्तरों पर शिक्षा और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश का सुझाव दिया है।

10 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क— राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने गीगावीट क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक डिजीटल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न स्थानों पर अखिल भारतीय ज्ञान संस्थानों को जोड़ने वाले एक उच्च अंत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की सिफारिश की है।

अनुवर्ती कार्रवाई

- पुस्तकालयों की स्थापना—** एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर संस्कृति विभाग ने 11 वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण—** राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत जुलाई 2008 में देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार, पुनः डिजाइन और गणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए।
- उच्च और तकनीकी शिक्षा—** क्षमता विस्तार और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने विश्व स्तर के मानकों के आधार पर 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 14 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।
- ई-शासन—** ग्यारहवीं योजना में राज्य के व्यापक क्षेत्र नेटवर्क समान्य सेवा केन्द्रों और राज्य डेटा केंद्रों के निर्माण के लिए एक सामान्य सेवा वितरण प्लेटफार्म के निर्माण की परिकल्पना की गई है स्वैन अब तक 6 राज्यों में लागू किया गया है और 18 राज्यों का कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

निष्कर्ष—

भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कई स्तरों पर होती है—प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय उत्कृष्टता के शोध संस्थानों तक। सभी स्तरों पर, पहुँच और उत्कृष्टता दोनों में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोगऐसे तरीके सुझाता है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारें ज्ञान संस्थानों के नियमों और विनियमन की नीतियाँ बनाने की क्षमता में सुधार करता है। अतः राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्चतर शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श किया है। अतः सबका एक मत से यह स्पष्ट मानना है कि उच्चतर शिक्षा में **आमूलचूल** बदलाव की जरूरत है ताकि हम शिक्षा का



स्तर गिराए बिना कही अधिक संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। ऐसा करना विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि 21 वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज का बदलाव काफी हद तक हमारे लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में उसके स्तर, खासकर उच्चतर शिक्षा के प्रसार और उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि:-

- (क) लाल, रमन बिहारी और पलोड़, सुनीता समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, R.Lall Book Dept. Meerut.
- (ख) लाल, बिहारी और कान्त, कृष्ण (2017) समकालीन समाज और शिक्षा आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
- (ग) खन्ना, राजकुमार (2010) भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास Twenty First Century Publication Patiala.
- (घ) Government of India (2007) National Knowledge commission Report of the nation 2007.
- (ङ) भारत सरकार (2006) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्र के नाम संदेश 2006 |
- (च) भारत सरकार (2009) भारतीय ज्ञान आयोग राष्ट्र के नाम प्रतिदिन 2006–2009 |